न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/01/2023	2023/314	01.06.2023	01.04.2026

1. रामलाल मीना पुत्र श्री भौरेलाल मीना निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
2. देवीलाल पुत्र स्व. श्री श्रीयाराम मीना निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
3. कैलाश मीणा पुत्र श्री हरसहाय जाति मीणा निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
4. केसुरम मीना पुत्र श्री श्रीचंद मीणा निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
5. जगराम मीना पुत्र स्व. श्री चन्दरराम मीना जाति मीना निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
6. कंचनराम मीना पुत्र श्री गुठठलराम जाति मीना निवासी ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ राजस्थान स्वयं व बहैसियत प्रतिनिधि ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक शाला जटवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
2. भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आज्ञा भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 आदेश दिनांक 19.05.1969 बाबत हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) वाके ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान। बमुराद मन्सूखी उपरोक्त आज्ञा वो स्वीकार किए जाने प्रार्थनापत्र।

उपस्थितः—
01.श्री अजीत कुमार यादव —वकील प्रार्थीगण
02.श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अप्रार्थी संख्या 01

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0 आदेश दिनांक 19.05.1969 जिसके द्वारा हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) वाके ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ की आराजी का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किये जाने से व्यथित होकर पेश किया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस सूचित किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। बहस वकुलाय सुनी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा दिनांक 19–05–1969 को अप्रार्थी संख्या 1 को हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान आवंटित की गई थी। लेकिन उक्त हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की किस्म बारानी प्रथम अज बंजड व बारानी प्रथम अज चारागाह हैं, उक्त आराजीयात सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं, जिसमें हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के हित निहित हैं, उक्त आराजी पर वर्तमान में भी प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान का कब्जा आवंटन से पूर्व व आवंटन उपरांत आज तक होने के कारण अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पारित की गई, उक्त भू आवंटन आज्ञा विधि विरूद्ध खिलाफ कानून व खिलाफ मौका हैं। जिस आवंटन आज्ञा से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/उज्रदारान द्वारा अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं।

उक्त आलोच्य आज्ञा दिनांक 19.05.1969 की जानकारी प्रार्थीगण/उज्रदारान को पूर्व में नहीं थी, उक्त आलोच्य आज्ञा के आधार पर दर्ज नामान्तकरण खातेदारी संख्या 71 दिनांक 30–03–1984 तहसीलदार भू०अ० लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15–11–2022 को मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व पटवारी हल्का से मौखिक रूप से हुई, जब अप्रार्थी संख्या 1 व पटवारी हल्का ने उक्त विवादित आराजी में मौके पर आकर निर्माण कार्य करने हेतु निरीक्षण किया। जानकारी होने पर प्रार्थीगण उजरदारान ने उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर अपील अदालत श्रीमान में पेश की गयी। आलोच्य आवंटन आदेश की प्रति अप्रार्थीगण द्वारा अदालत श्रीमान में पेश की गयी, जिसकी छायाप्रति प्रार्थीगण उजरदारान को दिनांक 04–04–2023 को अदालत श्रीमान से मिली। प्रार्थीगण उजरदारान ने कानूनी राय लेकर उक्त आलोच्य आवंटन आज्ञा की नकल लेने के लिए प्रार्थनापत्र जिला लेख भण्डार प्राधिकारी अलवर राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन प्रार्थीगण/उज्रदारान को नकल प्राप्त नही हुई हैं। प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/उज्रदारान द्वारा वकील साहब से तैयार कराकर बिना नकल आवंटन आज्ञा अदालत श्रीमान में बिना किसी देरी पेश किया जा रहा हैं। जिसे अपने अधिकारो की रक्षार्थ कभी भी पेश किया जा सकता हैं, कानूनन कोई मियाद निर्धारित नही हैं, इसलिए मियाद की कानूनन कोई बाध्यता नही हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

आलोच्य आज्ञा भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 19–05–1969 बाबत हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान होने से प्रार्थनापत्र उजरदारी न्यायालय श्रीमान के श्रवण योंग्य हैं। उक्त आलोच्य आज्ञा भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा दिनांक 19–05–1969 को पारित करने से पूर्व हम प्रार्थीगण/उज्रदारान को कोई सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया, ना मौके पर कब्जे की जांच की गई। इसलिए उक्त आवंटन आज्ञा न्यायिक प्रक्रिया, विधि एवम तथ्यों तथा मौके व कब्जें के खिलाफ हैं।

आलोच्य आज्ञा भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 19–05–1969 में वर्णित हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी की किस्म बारानी प्रथम अज बंजड व बारानी प्रथम अज चारागाह हैं। उक्त आराजीयात सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं, जिसमें हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के हित निहित हैं, उक्त आराजी पर वर्तमान में भी प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान काबिज हैं, तथा अपने पशुओं को चराने आदि के काम में लेते हैं, उक्त आराजीयात में ग्राम के पशु उठते बैठते हैं। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं, जिसको कानूनन अप्रार्थी संख्या 01 राजकीय उच्च प्राथमिक शाला जटवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के लिए आवंटन नही किया जा सकता हैं, ग्राम जटवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की भूमि को ही कानूनन उक्त गांव की शाला के लिए आवंटन किया जा सकता हैं। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा दिनांक 19–05–1969 को उक्त आराजीयात को खिलाफ कानून व खिलाफ मौका अप्रार्थी संख्या 01 राजकीय उच्च प्राथमिक शाला जटवाडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान को आवंटन किया गया हैं। तत्पश्चात सनद पटटा खातेदारी दिनांक 19–05–1969 को जारी किया गया, जिसके आधार पर इंतकाल खातेदारी संख्या 71 दर्ज व तस्दीक किया गया हैं, जिस इंतकाल की अपील अलग से अदालत श्रीमान में पेश की गई हैं। इसलिए आलोच्य आज्ञा भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 19–05–1969 निरस्तनीय हैं।

ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थित हैं, जिसमें कोई खेल मैदान नही हैं, उक्त विद्यालय में करीब 200 से अधिक विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं, जिनके लिए जगह कम हैं। इसलिए उक्त विवादित आराजी का आवंटन राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान को किया जाना न्यायोचित हैं, जिसमें हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान को कोई एतराज नही हैं। इसलिए आलोच्य आज्ञा निरस्तनीय हैं। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बिना हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान को सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान कियें, आलोंच्य आज्ञा पारित की हैं। तथा किसी प्रकार की मौका जांच नही की गई। जो आलोच्य आज्ञा अप्रार्थी संख्या 02 न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत व पीडित पक्षकार को बिना सुने होने के कारण निरस्तनीय हैं। उक्त विवादित आराजी ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान के सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि हैं, जिसमें सभी ग्रामवासियान के हित निहित हैं, लेकिन सभी ग्रामवासियान प्रार्थीगण/उज्रदारान पक्षकार बनकर प्रार्थनापत्र उजरदारी पेश करने व पैरवी करने में असमर्थ हैं, इसलिए ग्रामवासियान द्वारा हम प्रार्थीगण/उज्रदारान को अपना प्रतिनिधि अधिकृत किया गया हैं। इसलिए प्रार्थनापत्र उजरदारी हम प्रार्थीगण/उज्रदारान द्वारा स्वयं व प्रतिनिधी ग्रामवासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की हैसियत से पेश की जा रही हैं।

विवादित आराजी पर हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान वर्तमान में बिना किसी रोक टोक मौके पर काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करतें चलें आ रहें हैं। जिससे वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध, वास्ता, सरोकार व कब्जा नही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 विवादित आराजी से गैरकाबिज एंव गैरवास्ता हैं, जिसको मौजूदा सूरत में विवादित आराजी के बारे में कोई राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट पैदा नही होते हैं। उक्त आवंटन आज्ञा के तहत अप्रार्थी संख्या 1 को मौके पर कोई दखल आज दिन तक नही दिया गया, उक्त आवंटन आज्ञा हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान के अधिकारो के खिलाफ बातिल, बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी हैं, तथा बातिल, बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिये जाने योग्य हैं।

आलोच्य आंवटन आज्ञा पारित करने से पूर्व उपरोक्त विवादित आराजी को आंवटन करने के सम्बन्ध में भू–आंवटन सलाहकार समिति अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नही किया गया, ना ही मौके पर जाकर उक्त विवादित आराजी पर कब्जे की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी ली गई। अपितु मनमाने तरीके से नियम विरूद्ध आलोच्य आंवटन आज्ञा कागजी तौर पर पारित की गई हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आलोच्य आंवटन आज्ञा मात्र कागजी होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं, निरस्त फरमायी जावें। आंवटी अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त आवंटित आराजी पर मौके पर आज तक कभी दखल नही दिया गया। अपितु हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान उक्त आवंटित आराजी पर आवंटन से पूर्व व आवंटन के उपरांत आज तक काबिज व दाखिल हैं। जिनको किसी प्रकार आज तक मौके से वास्तविक/भौतिक रूप से बेदखल नही किया गया हैं। उक्त आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 उक्त विवादित आराजी से गैरकाबिज व गैरवास्ता हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 14 (3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग को दूसरे साल में उपयोग करना होता है। जिस शर्त का आवंटी द्वारा पालन करना होता हैं। यदि ऐसा नही होता हैं, तो वह आवंटन निरस्त होने योग्य होता हैं। उक्त आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त शर्त की कतई पालना नही की हैं। क्योंकि उसने आवंटन के प्रथम साल में व द्वितीय साल में क्या आज तक कोई उपयोग नही किया हैं, ना ही अप्रार्थी संख्या 1 का आज तक कभी किसी भी हैसियत से कब्जा रहा हैं। भू–आवंटन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 ने सन 1970 के आवंटन नियम 8, 9, 10, 11 की पालना नही की हैं, जो कि आवश्यक व अनिवार्य होता हैं। ऐसी स्थिति में भी उक्त आवंटन आज्ञा निरस्त होने योग्य हैं, निरस्त फरमायी जावें।

आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 ने कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 5 की पालना नही की हैं, जिसके अंतर्गत तहसीलदार प्रत्येक साल 30 सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमियो को सिचिंत व असिंचित दोनो सूचि प्रपत्र में तैयार करेगा, और एस डी ओ को प्रस्तुत करेंगा। जो पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में निरीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगी। ऐसा भू–आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नही किया गया हैं। इस कारण भी आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 की आज्ञा विधि विरूद्ध हैं। भू–आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 ने 1970 के नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए, कोई उदघोषणा जारी नही की हैं। इसलिए भी भू–आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 की आज्ञा काबिल निरस्तनीय हैं।

भू–आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 (2) की पालना भी नही की हैं। उदघोषणा में 2 सप्ताह की कालावधि या जनहित में जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए जारी की जावेगी। जिस खसरा नंबरान का आवंटन किया जाना हैं, उसकी सूची को उपखण्ड अधिकारी के सूचना पट पर लगाया जावेगा, तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उदघोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी। इसकी पालना भू–आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नही की गई हैं। ऐसी सूरत में भी भू–आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 की आज्ञा काबिल निरस्तनीय हैं। आंवटी अप्रार्थी संख्या 1 आवंटन की पात्रता नही रखता था, आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 को आज तक कभी आवंटित भूमि पर मौके पर दखल नही दिया गया हैं, आज भी मौके पर हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान काबिज हैं, तथा आंवटन से पूर्व व आवंटन के उपरान्त भी काबिज रहे हैं। भू–आंवटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आंवटी अप्रार्थी संख्या 1 के हक में मात्र कागजी तौर पर आवंटन आज्ञा पारित की गई हैं। जो निरस्तनीय हैं।

हम प्रार्थीगण/उज्रदारान व ग्रामवासियान आवंटित आराजी पर आवंटन से पूर्व व आवटन के उपरांत आज तक मौके पर काबिज चलें आ रहें हैं। भू–आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवंटन से पूर्व या पश्चात विवादित आराजी का कोई मौका निरीक्षण नही किया गया हैं। ना आवंटन से पूर्व किसी सक्षम राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से कोई मौका रिपोर्ट तलब की गई हैं। इसलिए आलोच्य आवंटन आज्ञा निरस्तनीय हैं। भू–आवंटन कमेटी अप्रार्थी संख्या 2 ने आलोच्य आवंटन आदेश खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया हैं। उक्त आधारो पर उक्त आवंटन आज्ञा दिनांक 19–05–.1969 निरस्त होने योग्य हैं, तथा उक्त विवादित आराजी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान हेतु आवंटन/विनियमन की सिफारिश किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं।

अतः प्रार्थनापत्र उजरदारी पेश कर निवेदन हैं, कि प्रार्थनापत्र/उजरदारी प्रार्थीगण उजरदाराान स्वीकार किया जाकर आलोच्य आज्ञा भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 19.05.1969 बाबत हाल आराजी खसरा नंबर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टर) कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जाकर उक्त विवादित आराजी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान हेतु

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

आवंटन/विनियमन की सिफारिश करने की कृपा करें। खर्चा मुकदमा प्रार्थीगण उजरदारान को अप्रार्थीगण से दिलाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 19–05–1969 को अप्रार्थी संख्या 1 को हाल आराजी खसरा नम्बर 308 रकबा 14 बिस्वा (0.1800 हैक्टेयर), 314 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा (1.3400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा (1.5200 हैक्टेयर) ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर आवंटित की गई थी। लेकिन उक्त हाल आराजी बंजड व बारानी प्रथम चारागाह है। उक्त आराजीयात सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण/उज्जदारान व ग्राम वासियान ग्राम निठारी तहसील लक्ष्मणगढ़ के हित निहित है। उक्त आराजी पर वर्तमान में भी प्रार्थीगण व ग्राम वासियान निठारी का कब्जा आवंटन से पूर्व व आवंटन उपरांत आज तक होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पारित की गई, उक्त भू आवंटन आज्ञा विधि विरूद्ध, खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। जिस आवंटन आज्ञा से असंतुष्ट होने के कारण यह प्रार्थना पत्र/उज्जदारी प्रार्थीगण/उज्जदारान द्वारा अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। आदि पर उक्त आवटन निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

विवादित आराजी से कभी भी प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है और ना ही वर्तमान में है। विवादित आराजी पडत सिवायचक भूमि रही है जिससे कभी भी प्रार्थीगण या किसी अन्य ग्राम वासियांन का कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है। उक्त भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि नहीं रही है और ना ही उसमें प्रार्थीगण व ग्राम वासियान ग्राम निठारी के हित निहित है। उक्त भूमि राजकीय विद्यालय को खेल कूद मेदान व स्कूल हेतु आंवटन की गई है जो ग्राम के बच्चो के भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु की गई है। यह कहना कतई गलत है कि उक्त आराजी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए आंवटन नही की जा सकती हो। सरकार द्वारा उक्त आराजी विधिसम्मत तरीके से कानूनी प्रावधानो के अनुसा मिन अप्रार्थी संख्या 1 को आंवटन की गई है।

आर आर डी 1981 पेज 155 में यह बताया गया है कि ग्रामीणो के द्वारा धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन नियम 1970 में सामान्य शिकायत नही की जा सकती है। इसके आधार पर अलॉटमेन्ट निरस्त नही किया जा सकात है। इस केस माननीय रेवेन्यू बोर्ड ने यह अभिधारण की गई है। अगर आंवटन की गई भूमि दूसरे ग्राम हो तो भी आंवटन निरस्त नही किया जा सकता है। अलॉटमेन्ट 19–05–1969 को खसरा नम्बर साबिक 189 व 162 अज बंजड सिवायचक ग्राम निठारी राजकीय प्राथमिक शाला जटवाडा को 1963 को नियमानुसार अलॉटमेट की गई थी। साबिक खसरा नम्बर 189 व 162 के हाल नम्बर 308, 314 बने है। वक्त आवंटन खसरानम्बर 189 व 162 गौचर भूमि नहीं थी। उस वक्त आज बंजड सिवायचक भूमि जिसका नियमानुसार आवंटन किया गया जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल इंतकाल की अपील रामलला बनाम प्रधानाध्यापक के साथ पेश है जो आवंटन से पहले की जमाबंदी में है। जिसमें भूमि चारागाह नही हैं। अगर सेटिलमेन्ट में चारागाह दर्ज कर दी गई तो ऐसा किस्म परिवर्तन करने भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नही है।

आवंटन कॉलेज डिस्पेंसरी धर्मशाला एवं जनता के सार्वजनिक उपयोग के लिए आंवटन नियम 1963 बनाये गये है। जिसमें सब क्लॉज (4) में उपखण्ड अधिकारी को आवंटन करने के अधिकार दिये गये है। जबकि प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1963 के 1970 पर लागू नही होता है। अगर भू प्रबंध विभाग द्वारा चारागाह गलत रूप से दर्ज कर करदी गई है तो उसमें थर्ड पार्टी का मामला नहीं बनता है। क्योंकि चारागाह की भूमि का संरक्षक ग्राम पंचायत होती है ना कि ग्रामीण । वक्त आवंटन ग्राम पंचायत की सहमति से ही आवंटन किया गया था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कोई एतराज नही किया गया है। यह कि भू–आवंटन नियम 1963 क्लॉज 1 में जोहड रास्ता नदी के आलवा सभी प्रकार भूमि का राजकीय स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला आदि के लिए अलॉटमेन्ट की जा सकती है। अगर चारागाह भूमि हो तो भी राज्य सरकार से बिना अनुमति के भी राजकीय प्रयोजनार्थ के लिए आंवटन की जा सकती है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का सैक्शन 79 यह कहता है कि अलॉटमेन्ट आदेश को प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश करनी आवश्यक होती है। उसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

इस प्रकार रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल रूल 30 एवं 17 के अन्तर्गत भी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि किसी अपील या प्रार्थनापत्र धारा 14 (4) में आवंटन आदेश की प्रतिलिपि लगाना जरूरी है। प्रार्थीगण उजदारो के अलॉटमेन्ट आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि नही लगायी। जो आज्ञापक प्रावधान है। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) काबिल खारिज है। जैसा कि भैरूलाल बनाम वनमल केस में लारजर बैंच आर आर डी 1980 पेज 228 में यह प्रतिपादित किया है कि अगर सैक्शन 79 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में रेवेन्य मैन्यूअल में कहा गया है कि आदेश की सत्यप्रतिलिपि नही लगाई जो क्यूरेविल नही है। अगर प्रार्थीगण सत्यप्रतिलिपि आदेश लगाने फेलियर रहता है। डिफेक्टेड एवं फैटल है।

अलॉटमेन्ट सन् 1969 को हुआ था तथा वर्मतान उजदारी 53 साल पश्चात पेश किया गया है। आवंटित आराजी पर ग्राम वासियान द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई तथा दिनांक 18–01–1985 को मिन अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मुकामी पुलिस थाना में इस आश्य की रिपोर्ट दर्ज करायी अलॉटशुदा आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करने पर डोली बंधवाई जा रही थी। वह मौका देखने के लिए विडदयाराम, सहायक अध्यापक व मोतीलाल चपरासी के साथ एक बजे मौके पर गया व देखा कि अभियुक्तगण नत्थू, काली, खैरा, मोतीलाल, बिरदा, वगैरा ने मजदूरो को डोली नही बनाने दी और धमका कर भगा दिया तथ उक्त मुलजिमान ने एक राय होकर उस पर आक्रमण कर दिया। उसके चेहरे, जबडे पर लात घूसे मारे तथा ट्रेक्टर की पुलिया से भी मारा व झण्डा झोली बना कर कुए में डालने का प्रयास किया लेकिन बिडदयाराम सहायक अध्यापक, मोतीलाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व मिश्रीलाल ने उसे आकर बचा दिया। उस समय वह सरकारी कार्य में व्यस्त था और उक्त कार्य के दौरान मारपीट की गई। जिस पर मुकामी पुलिस द्वारा थाना खेडली द्वारा मुकदमा नम्बर 131/85 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 323, 353, 448, भा०दं. सं० के तहत कायम किया गया और बाद तफतीश चार्ज शीट धारा 147, 332, 333, 447 सपठित धारा 149 आईपीसी के तहत चार्जशीट पेश की गई जिस प्रकरण में अभुयिक्त नाथूराम वगैरा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 325, 347 के तहत दोषी पाये जाने पर 6 माह के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया जाकर निर्णय व दण्डादेश दिनांक 25–04–1988 को पारित किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व समस्त ग्राम वासियान को उपरोक्त आदेश की पूर्व से ही जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में यह कथन नितांत गलत है कि प्रार्थीगण को दिनांक 15–12–2022 को उक्त आंवटन का पता लगा अपने आप में गलत हो जाता है। मुकदमा नम्बर 131/85 की प्रमाणित फोटो कॉपी रामलाल बनाम प्रधानाध्यापक की इंतकाल की अपील में प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थनापत्र धारा 14 (4) 53 साल लम्बे समयावधि पर पेश किया गया है। जैसा कि आर आर डी 1981 पेज 202 प्रतिपादित किया कि 10वर्ष बाद अलॉटमेन्ट निरस्त नही किया जा सकता है। आर आर टी 2019 पेज 106 में 15 वर्ष बाद अलॉटमेन्ट निरस्त नही हो सकता है। आर आर टी 2023 पेज 559 के अनुसार 33 वर्ष बाद अलॉटमेन्ट निरस्त कारण न्याय संगत नही कहा जा सकता है। आर आर टी 2019 (2) पेज 838 में 40 वर्ष बाद अलॉटमेन्ट को निरस्त करना न्याय का मजाक किया है। आर आर डी 2010 पेज 90 एवं आर बी जे 2020 पेज 102 में यह माननीय रेवेन्यू बोर्ड ने यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है। अलॉटमेन्ट 1963 के नियमानुसार कियाग या है तो आंवटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उक्त आवंटित भूमि विद्यालय व उसके खेल मैदान के लिए ही आवंटित की गई है और मौके पर राजाकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जटवाडा में आस पास के सभी ग्राम के बच्चे अध्ययनरत है। विवादित आराजी में ग्राम वासियान का कोई हित निहित नही है। और ना ही उन्हे प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनी हक व अधिकार है तथा मौजूदा प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध कानूनी प्रावधानो के विरूद्ध पेश की गई है जो मय हर्जा खर्चा काबिल खारिज है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण मय हर्जा और खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन परिशीलन किया गया। प्रार्थीगण ने 53 वर्ष पुराने आवंटन आदेश को चुनौती दी है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि न्याय उनकी सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, न कि उनकी जो सो रहे हैं। प्रार्थीगण का यह तर्क कि उन्हें जानकारी 2022 में हुई, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुकदमा नंबर 131/85 के रिकॉर्ड से खंडित

जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हो जाता है। 1985 में हुए आपराधिक प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि और उसके आवंटन की स्थिति से ग्रामवासी भली–भांति परिचित थे। अतः 53 वर्ष बाद प्रस्तुत यह उजरदारी अत्यधिक विलंब के कारण पोषणीय नहीं है। वहीं हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का आवंटन किसी निजी व्यक्ति को न होकर एक राजकीय शिक्षण संस्थान को किया गया है। शिक्षा जैसे लोक–कल्याणकारी कार्य हेतु भूमि का आवंटन सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आता है। यद्यपि प्रार्थीगण का तर्क है कि भूमि चारागाह है, परंतु राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आवंटन के समय इसकी प्रकृति बंजड़ सिवायचक रही है। राजकीय प्रयोजन हेतु नियमानुसार किस्म परिवर्तन और आवंटन का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को प्राप्त है।

प्रार्थीगण की यह मांग कि भूमि निठारी के विद्यालय को मिलनी चाहिए, नैतिक रूप से उचित लग सकती है, परंतु यह कानूनी आधार पर 1969 के वैध आवंटन को निरस्त करने का कारण नहीं बन सकती। यदि निठारी विद्यालय को भूमि की आवश्यकता है, तो उसके लिए पृथक से राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा जा सकता है, न कि पुराने आवंटित राजकीय विद्यालय का हक छीनकर। उपरोक्त समस्त तथ्यों/तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त उपरोक्त विवेचना के आधार पर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 खारिज किया जाता है। **निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।**

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय)